




कार्यालय कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ0ग0)

ज्ञापन

क्रमांक/ 885/भू-अर्जन/02-अ 82/2019 दन्तेवाड़ा, दिनांक 07/02/2019  
प्रति,



उप नियंत्रक,  
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय,  
राजनांदगाँव


विषय:- भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19(1) संबंधी  
अधिसूचना का प्रकाशन।

--00--

कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग दक्षिण बस्तर  
दन्तेवाड़ा द्वारा समलूर जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु ग्राम समलूर  
पटवारी हल्का नम्बर-08 तहसील गीदम, की निजी भूमि रकबा 3.807  
हेक्टेयर अधीग्रहण किया जाना प्रस्तावित है।

अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित  
प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1)  
संबंधी अधिसूचना की तीन प्रतियां संलग्न कर प्रेषित है। कृपया संलग्न  
अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने  
का कष्ट करे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

  
दोपेश्वर वर्मा  
कलेक्टर

दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

885/14/2019  
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय  
राजनांदगाँव (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा एवं पदेन उप-सचिव छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

// अधिसूचना //

क्रमांक/ भू-अर्जन/02-अ 82/2015-16

दन्तेवाड़ा, दिनांक /04/2019

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ- समलूर जलाशय एवं जलाशय हेतु आ0बी0सी0/एल0बी0सी नहर निर्माण हेतु ग्राम समलूर, प0ह0न0-08, तहसील-गीदम, जिला-दन्तेवाड़ा के कुल- 3.807 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, अर्थात्

इसलिए घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है जो 3.807 हेक्टेयर है जो ग्राम समलूर, तहसील-गीदम, जिला दन्तेवाड़ा में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :-


क्र०	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	प्रभावित खसरा नम्बर	अर्जन के अधीन क्षेत्र (हेक्ट०) में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
01	02	03	04	05	06	07
01	03	निजी	खेत एवं मरहान	760 595 726	0.075 0.180 0.090	लालू पिता धूरवा, साकिन समलूर
02	02	निजी	खेती	750 612	0.012 0.080	मु० सुकड़ी बेवा मांड़ी, साकिन समलूर
03	01	निजी	मरहान	611/2	0.108	दुला पिता आयतु, साकिन समलूर
04	04	निजी	खेती एवं मरहान	568 570 571 563	0.084 0.054 0.004 0.084	मिटकी पति सुकमन, साकिन समलूर
05	01	निजी	मरहान	569	0.084	मु०सिमरी बेवा मंगू, साकिन समलूर
06	01	निजी	मरहान	553/4	0.252	बुधराम पिता घण्डू, साकिन समलूर
07	01	निजी	मरहान	553/3	0.081	गजरु पिता पोण्डरा, साकिन समलूर
08	01	निजी	मरहान	553/2	0.069	गुडड़ी पिता पोण्डरा, साकिन समलूर
09	01	निजी	मरहान	553/1	0.042	कुमा पिता पोण्डरा, साकिन समलूर
10	01	निजी	मरहान	424	0.024	नीलम सिंह पिता बीरभजन सिंह साकिन समलूर
11	01	निजी	मरहान	425	0.120	जगदीश पिता भवर सिंह, साकिन समलूर
12	02	निजी	मरहान	429 451/1	0.045 0.004	जानकी बाई पति दिलदार सिंह, साकिन समलूर
13	01	निजी	मरहान	428/2	0.108	लक्ष्मी देवांगन पति राजेश देवांगन, साकिन समलूर
14	01	निजी	मरहान	440	0.024	भाव सिंह पिता भकचन्द, साकिन समलूर
15	01	निजी	खेती	441	0.180	सुन्दर सिंह पिता मेहत्तर, साकिन समलूर
16	01	निजी	खेती	471	0.414	मनकू पिता लक्ष्मण, साकिन समलूर
17	01	निजी	खेती	553/2	0.040	सोनधर पिता दोया, साकिन समलूर
18	01	निजी	खेती	453/1	0.044	धनाराम पिता दोया, साकिन समलूर

क्र०	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	प्रभावित खसरा नम्बर	अर्जन के अधीन क्षेत्र (हेक्ट०) में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
01	02	03	04	05	06	07
19	03	निजी	मरहान	176	0.016	दिलबाहार सिंह पिता इन्द्रसिंह, साकिन समलूर
				177	0.120	
				178	0.008	
20	02	निजी	मरहान	175	0.129	कन्ना पिता सुखदेव, साकिन समलूर
				171	0.078	
21	02	निजी	मरहान	179	0.016	नीलू पिता सुखदेव, साकिन समलूर
				173	0.127	
22	01	निजी	खेती	170	0.099	जुगधर पिता सुखदेव, साकिन समलूर
23	01	निजी	मरहान	166/5	0.009	सुगन्ती बाई पति धरमसिंह, साकिन समलूर
24	01	निजी	खेती	723	0.255	रमेश पिता जोगा, साकिन समलूर
25	04	निजी	खेती एवं मरहान	710	0.104	सुकली पति समलूर, साकिन समलूर
				708/3	0.060	
				708/1	0.120	
				707	0.004	
26	03	निजी	खेती एवं मरहान	706	0.162	जग्गू पिता सुक्कू, साकिन समलूर
				679	0.066	
				704	0.132	
योग:-					3.807	

वृक्ष का किस्म	महुआ	सागौन	आम	साजा	मुण्डी	बीजा	इमली	कुसुम	तेन्दु	योग
संख्या	16	06	04	04	03	02	01	01	01	38

भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा०) दन्तेवाड़ा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

  
(दीपेश्वर वर्मा)

कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा  
एवं पदेन उप-सचिव छत्तीसगढ़ शासन राजस्व  
विभाग